

अंचल अधिकारी जोखिपुर का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 06/2017-18

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11.07.16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- मुन्ना 92B थाना- 143 खाता संख्या- 75 प्लॉट संख्या- 967 रकबा- 33.51 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 01 के पृष्ठ संख्या- 185 पर जमाबंदी रैयत मुन्ना राम मांझ के नाम से कायम है।
पिता राम मांझ

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आवेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19.07.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी
19/7/16

खा एवं संबंधित

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एवं संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या 185 जमाबंदी रैयत मंगल मांकी पिता राम मांकी के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जब 22 वर्ष 137/1964-65 खाता 75 प्लॉट 967 रकवा 33.570 अंकित है। लगान रसीद वर्ष — से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पूर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में श्री धनकु मांकी पिता मंगल मांकी (2) श्रीमति सुरेश्वरी देवी पति स्व. धनकु मांकी

का प्रश्नगत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा-2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार राँची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तों को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्तमान उत्तराधिकारियों (1) धनकु मांकी (2) श्रीमति सुरेश्वरी देवी के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद को भेजे।


01/12
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

पुनःश्च अभिलेख उपस्थापित। उक्त अभिलेख में दर्ज गत सर्वे
खतियान के अनुसार मौजा सुन्दरपहाड़ी थाना सं० 143 खाता सं०
75 प्लॉट सं० 967 रकवा 33.90 का हाल सर्वे खतियान के
अनुसार नया खाता 237 नया प्लॉट सं० 911
रकवा 33.90 भूमि मुख्य मार्ग से 150 मीटर की अधिक दूरी पर अवस्थित
है। पूर्व में बन्दोवस्ती नहीं मिली हैं। उक्त वर्णित भू-खण्ड को जमाबंदी रैयत
के उत्तराधिकार श्री दनकु माँझी पिता स्क० मंगल माँझी
रव शंभर के नाम से नियमितीकरण करने
की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
धनबाद को भेजें।

11/11/18
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर